चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर

प्रबन्ध मण्डल की १३९वीं बैठक

का कार्यवृत्त

चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
प्रबन्ध मण्डल की १३६वीं बैठक का कार्यवृत्त।

दिनॉक : २२.०६.२००६
सभास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष
समय : मध्यान्ह १२:०० बजें

उपस्थिति :-

१.	**डा० जी०सी० तिवारी,** कुलपति	अध्यक्ष
२.	**श्री वाई०पी० सिंह,** अपर निदेशक कोषागार	प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि/सदस्य
३.	**श्री पी० लाल,** अनुसचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन	प्रमुख सचिव कृषि के प्रतिनिधि/सदस्य
४.	**श्री अखिलेश कुमार, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,** प्रतिनिधि प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ	प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि/सदस्य
५.	**डा० वी० सिंह,** सहायक निदेशक पशुपालन, उ०प्र० शासन, लखनऊ	निदेशक पशुपालन के प्रतिनिधि/सदस्य
६.	**डा० एस०एन० शुक्ला, सहायक महानिदेशक,** (एफ० एण्ड एफ०सी०), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा,नई दिल्ली-११००१२	सदस्य
७.	**श्री राम शिरोमणि शुक्ल,** सदस्य विधान सभा, शुक्ला भवन, ७८१/२ डी०, बाधम्बरी गद्दी रोड, नेह निकुंज कलोनी, अल्लापुर, इलाहाबाद।	सदस्य
८.	**श्रीमती अरूणा तोमर,** सदस्य विधान सभा, ५६८, सफीपुर, लाल बंगला, रामादेवी चौराहा, कानपुर।	सदस्य
९.	**डा० रमेश यादव,** ८ विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।	सदस्य
१०.	**श्री सुरेश पचौरी (पूर्व प्रधान),** ग्राम-नौहरिका, पोस्ट-इरादत नगर, जनपद-आगरा।	सदस्य
११.	**श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी,** ग्राम-सेवरा, थाना-बरहन, तहसील-एत्मादपुर, जिला-आगरा।	सदस्य
१२.	**श्री मनोज राठी,** पलवल रोड, खैर, जनपद-अलीगढ़।	सदस्य
१३.	**श्रीमती विजय लक्ष्मी पाल,** ग्राम-बडागॉव गुलाम कयूम, पोस्ट-झीझंक, तहसील- डेरापुर, जिला- कानपुर देहात।	सदस्य
१४.	**श्री० कमलेश कुमार रावत,** अर्थ नियन्त्रक	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, प्रबन्ध मण्डल द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया तथा मा० प्रबन्ध मण्डल के नये सदस्यों यथा- डा० एस०एन० शुक्ला, श्री हरेन्द्र कुमार त्यागी, श्री मनोज राठी एवं श्रीमती विजय लक्ष्मी पाल का सभी माननीय सदस्यों से परिचय कराया गया।

मा० प्रबन्ध मण्डल की कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय परिवार की सहायक प्राध्यापक डा० माण्डवी सिंह, पादप रोग विज्ञान विभाग की विश्वविद्यालय प्रांगण में नृशंस हत्या के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा विश्वविद्यालय द्वारा की गयी सम्पूर्ण कार्यवाही से मा० प्रबन्ध मण्डल को अवगत कराया गया।

मा० प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों द्वारा इस जघन्य हत्या की घोर निन्दा की गयी तथा गहरा शोक व्यक्त किया गया।

इस प्रकरण पर मा० कुलपति महोदय द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही पर मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गयी।

उक्त के बाद प्रस्तुत एजेण्डा पर मदवार चर्चा की गयी जिसका विवरण मदवार निम्नवत् है:

मद संख्या १	:	**प्रबन्ध मण्डल की दिनॉक २०.०१.२००६ को सम्पन्न हुई १३८वीं बैठक की कार्यवाही का अनुमोदन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा १३८वीं बैठक दिनॉक २०.०१.२००८ की कार्यवृत्त का अनुमोदन/पुष्टि कर दी गयी।
मद संख्या २	:	**प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक दिनॉक २०.०१.२००६ में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा कृत कार्यवाही पर संतुष्टि व्यक्त की गई। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा श्री टी०पी० दुबे के प्रकरण पर निर्णय लिया गया कि श्री दुबे पूर्व की भॉति केन्द्रीय सहायता का कार्य देखते रहेगे। साथ ही निर्देश दिया कि प्रकरण के सम्बन्ध में जॉच आख्या आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।
मद संख्या ३	:	**वित्तीय वर्ष २००६-१० में** आयोजनेत्तर **एवं आयोजनागत पक्ष में शासन द्वारा प्राविधानित/स्वीकृत धनराशि तथा** विश्वविद्यालय **प्राप्तियों के व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या ४	:	**प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक में मदसंख्या-१८ के पूरक-३ पर दिये गये निर्देशानुसार डा० आशीष कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक के उपार्जित अवकाश के सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के साथ प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।

मद संख्या ५	:	**कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत जनपद इटावा में एग्रो इण्डस्ट्रियल उद्यमी प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु उपकरणों एवं मशीनरी के क्रय में जाँचोंपरान्त पायी गयी अनियमितताओं में संलिप्त दोषी कार्मिकों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल ने प्रस्ताव पर निर्णय लिया कि शासनादेश दिनाँक २७.०७.२००६ द्वारा वित्त नियन्त्रक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को जाँच अधिकारी नियुक्त करते हुए जाँच आख्या शासन को उपलब्ध कराने के आदेश प्रदान किये गये हैं। अतएव प्रश्नगत प्रकरण में शासन से जाँच आख्या प्राप्त होने पर प्रबन्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जाय।
मद संख्या ६	:	**नव अनुमोदित उपयोजना "Crop and Varietal Diversification and Intensification of Farming System for Sustainable Agriculture Production" को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया। प्रबन्ध मण्डल द्वारा नये प्रोजेक्ट्स आने पर कुलपति महोदय की सराहना की गई तथा नई प्रजातियों, प्रदर्शनी आदि के सम्बन्ध में सूचना सहित समस्त सदस्यों को अवगत कराने की अपेक्षा की गई।
मद संख्या ७	:	**नव स्वीकृत अखिल भारतीय समन्वित सोयाबीन शोध परियोजना (All India Coordinated Research Project on Soybean Improvement Project) का विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या ८	:	**अखिल भारतीय समन्वित आलू शोध परियोजना (All India Co-ordinated Research Project on Potato - 75%:25%) को विश्वविद्यालय मे क्रियान्वित किए जाने के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या ९	:	**अखिल भारतीय नेट वर्किंग परियोजना प्याज एवं लहसुन के विकास हेतु (All India Network Project on improvement of Onion and Garlic-100%) को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या १०	:	**ICAR-All India Coordinated Research Project on Micro and secondary Nutrients and Pollutant Elements in Soils and Plants. (Establishment of centre of AICRP Micro and Secondary Nutrient and Pollutant elements in Soils and Plants-100%) को विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या ११	:	**डा० राजीव, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, थरियाँव, फतेहपुर का उ०प्र० कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि धारणाधिकार की अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक न बढाई जाय।

मद संख्या १२	:	**डा० प्रणवीर सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केन्द्र, बेलाताल का उ०प्र० कृषि विविधीकरण परियोजना (डास्प) में जिला परियोजना समन्वयक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि धारणाधिकार की अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक न बढाई जाय।
मद संख्या १३	:	**डा० राजीव कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ (सस्य), कृषि विज्ञान केन्द्र, अलीगढ़ का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य) के पद पर चयन हो जाने पर उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखने सम्बन्धी प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि धारणाधिकार की अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक न बढाई जाय।
मद संख्या १४	:	**डा० एच०पी० सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, दलीपनगर की नियुक्ति प्राचार्य, के पद पर राजारतन सेन डिग्री कालेज बाँसी सिद्धार्थ नगर, (उ०प्र०) में हो जाने के फलस्वरूप उनके मूल पद पर धारणाधिकार सुरक्षित रखे जाने का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा निर्देश दिया गया कि धारणाधिकार की अवधि किसी भी दशा में दो वर्ष से अधिक न बढाई जाय।
मद संख्या १५	:	**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत "STRENGTHENING OF UNIVERSITY FARMS FOR BREEDER/ FOUNDATION SEED PRODUCTION" शीर्षक परियोजना के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
मद संख्या १६	:	**मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या-३९०४/९० डा० डी०सी० कौशिक, डा० जितेन्द्र कुमार एवं श्री अमर सिंह परमार बनाम कुलपति एवं अन्य पर पारित निर्णय दिनांक २१.१.९८ के परिदृश्य में उक्त याचीगणों को संविलियन की तिथि से यू०जी०सी० वेतनमान रू० ७००-१६०० अनुमन्य कराये जा चुके प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।** मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव को वापस ले लिया गया।
मद संख्या १७	:	**डा० एस०पी० त्यागी, सह प्राध्यापक (एनीमल न्यूट्रीशन) द्वारा साक्षात्कार कराने हेतु योजित याचिका संख्या- ६१८३०/०५ पर पारित निर्णय दिनांक १२.८.२००८ के क्रम में प्रस्तुत किये जा रहे पत्राचार के निस्तारण का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव पर निर्देश दिया गया कि मा० उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाय एवं बोर्ड में एनीमल न्यूट्रीशन विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञ बुलाया जाय तथा डा० त्यागी को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाय।

मद संख्या १८ :

प्रबन्ध मण्डल की १३४वीं बैठक दिनांक १६.२.२००८ में वैयक्तिक प्रोन्नति के अन्तर्गत प्राध्यापक पदनाम व वेतनमान अर्हता पूरी करने की तिथि से दिये जाने के विरूद्ध मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित याचिका संख्या-५४५७५/०८ पर पारित निर्णय दिनांक २१.१०.२००८ के अनुपालन में प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु प्रस्ताव।

इस प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा कृत कार्यवाही से प्रबन्ध मण्डल संज्ञानित हुआ, कृत कार्यवाही से सहमत होते हुये मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा अपेक्षा की गयी की कदाचित इस मामले में शासन द्वारा प्रति-शपथपत्र मा० उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है उसकी पुष्टि करा ली जाय और आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जाय।

मद संख्या १६ :

महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्णय पत्रसंख्या-ई- ६२०२/जीएस दिनांक २४.११.१६६३ एवं मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा याचिका संख्या-३३०१६/१६६४ पर पारित निर्णय दिनांक १८.१०.६४ के अनुपालन स्वरूप डा० महेश सिंह, सहायक प्राध्यापक को अपने से कनिष्ठ डा० दल श्रृंगार सिंह व अन्य के दिनांक से प्रोन्नति लाभ अनुमन्य कराये जाने का प्रस्ताव।

मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्देश दिया गया कि प्रकरण के सम्बन्ध में एक कमेटी का गठन कर इस प्रकरण की जॉच कराई जाय कि मा० न्यायालय तथा महामहिम कुलाधिपति के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी डा० महेश सिंह के प्रकरण का निस्तारण नही किये जाने के लिए कौन-कौन दोषी है तथा जो अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय। डा० महेश सिंह की प्रोन्नति सम्बन्धी प्रकरण उक्त कमेटी के माध्यम से शीघ्र निस्तारित किया जाय।

मद संख्या २० :

मा० प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक दिनांक २०.०१.२००६ के मद संख्या-१७ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री पी०के० बिसारिया, श्री लालमणि व श्री बी०एल० त्रिपाठी को यू०जी०सी० वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु अभिलेखीय तथ्यों सहित विस्तृत प्रस्ताव।

प्रश्नगत प्रस्ताव अन्य प्रस्ताव मद संख्या-२२ पूरक-४ पर विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

मद संख्या २१ :

प्रगति आख्या (०१ जनवरी, २००६ से १५ जून, २००६ तक) चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।

मा० प्रबन्ध मण्डल के समक्ष दिनॉक ०१ जनवरी, २००६ से २१ सितम्बर, २००६ तक की प्रगति आख्या प्रस्तुत की गई। मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रगति आख्या का अवलोकन किया गया तथा संस्तुष्टि व्यक्त की गई तथा विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नई प्रजातियों यथा-

(क)	**पीली सरसों की प्रजाति "पीताम्बरी"**
(ख)	**अलसी की प्रजाति एलएमएस १४६**
(ग)	**गेहूँ की प्रजाति के-४०२ (माही)**
(घ)	**गेहूँ की प्रजाति के-६८५४१ (सोना)**

के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सराहना की गई।

मद संख्या २२	:	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।**
पूरक १	:	**उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नव स्वीकृत ४ शोध योजनाओं के विश्वविद्यालय में क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
पूरक २	:	**रक्षा शोध एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ), रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित "Linen from Indigenous Flax Fibres for Defence Applications" परियोजना के विश्वविद्यालय मे क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
पूरक ३	:	**सुमिटामों केमिकल इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा स्वीकृति एवं १०० प्रतिषत वित्त पोषित शोध योजना "Testing of New Herbicides" का विश्वविद्यालय में क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।
पूरक ४	:	**मूल मद सं०-२० के क्रम में प्रस्ताव** **मद सं०-२० मा० प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक दिनांक २०.०१.२००६ के मद संख्या-१७ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री पी०के० बिसारिया, श्री लालमणि व श्री बी०एल० त्रिपाठी को यू०जी०सी० वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु अभिलेखीय तथ्यों सहित प्रस्ताव।** **(१)** **मा० प्रबन्ध मण्डल की १३८वीं बैठक दिनांक २०.०१.२००६ के मद संख्या-१७ में लिये गये निर्णय के अनुपालन में श्री पी०के० बिसारिया, श्री लालमणि व श्री बी०एल० त्रिपाठी को यू०जी०सी० वेतनमान अनुमन्य कराये जाने हेतु अभिलेखीय तथ्यों सहित पूरक प्रस्ताव।** **(२)** **कृषि ज्ञान केन्द्र समाप्त हो जाने पर नियुक्त समन्वयकों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों को कृषि विज्ञान केन्द्रों में रिक्त कार्यक्रम समन्वयकों/विषय वस्तु विशेषज्ञों के पदों पर समायोजित किये जाने के फलस्वरूप उन्हें यू०जी०सी० वेतनमान एवं अन्य प्रतिगामी लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** **(३)** **शासनादेश संख्या-३२१-१२-८-२००१-७०००(३)/२००१ दिनांक १४.०३.२००१ द्वारा दी गयी अनापत्ति पर कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियुक्त ट्रेनिंग आर्गेनाइजर एवं ट्रेनिंग एसोसिएट को यू०जी०सी० वेतनमान एवं उसके प्रतिगामी लाभ अनुमन्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव।** **(४)** **डा० आर०के० पाण्डेय, प्रकाशन सहायक, वेतनमान रू० ८०००-१३५०० को यू०जी०सी० वेतनमान एवं उसके प्रतिगामी लाभ अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।** विद्वत परिषद द्वारा पारित दिनांक १६.०६.२००६ की कार्यवृत्त को संज्ञान में लेते हुए मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा व्यापक चर्चा की गई, मा० प्रबन्ध मण्डल के सदस्य श्री वाई०पी० सिंह (जो प्रमुख सचिव वित्त के प्रतिनिधि हैं) द्वारा कहा गया कि इस पूरे प्रकरण को शासन को संदर्भित किया जाय और शासन से प्राप्त निर्देशानुसार कार्यवाही की जाय।

		मा० प्रबन्ध मण्डल के शेष सभी उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव जो वेतनमान रु० ८०००-१३५०० से परिवर्तित होकर उसी वेतनमान रु० ८०००-१३५०० में प्रस्तावित हैं का अनुमोदन किया गया तथा मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा निर्णय लिया गया कि अनुमोदित प्रस्ताव दिनॉक २२.०६.२००६ से प्रभावी माने जायेंगे। मा० प्रबन्ध मण्डल के शेष सभी सदस्यों द्वारा मत व्यक्त किया गया कि वे सभी प्रस्ताव जो वेतनमान रु० १२०००-१६५०० से परिवर्तित होकर वेतनमान रु० १२०००-१८३०० में प्रस्तावित हैं, में वित्तीय उपाषय निहित हैं। अतः इन प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।
पूरक ५	:	**श्री बी०एल० त्रिपाठी, सहायक प्राध्यापक, पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग के प्रत्यावेदन दिनांक २१.०८.२००६ को निस्तारण का प्रस्ताव।** मा० प्रबन्ध मण्डल द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया।

मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा मा० प्रबन्ध मण्डल के सभी सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा दिनॉक ०३ से ०६ अक्टूबर, २००६ तक हर वर्ष की भाँति किसान मेले का आयोजन विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया जा रहा है जिसमें सभी मा० सदस्यों का आमंत्रित किया गया।

अन्त में बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद उपरान्त समाप्त हो गयी।

अनुमोदित

[signature]

{डा० जी०सी० तिवारी}
कुलपति एवं अध्यक्ष
प्रबन्ध मण्डल

[signature] 24-9-09

{कमलेश कुमार रावत}
अर्थ नियन्त्रक एवं सचिव
प्रबन्ध मण्डल